3.1.22 पत्रावली अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। रैस्पोन्डेण्ट्स एवं उनके अभिभावक उपस्थित आये। उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया जो [illegible] बतौर तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष को राजीनामा पर सुना गया।

अपीलान्ट का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर ~~149~~ 665/641 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम नाल औंडेला तहसील धौलपुर व जिला धौलपुर में से 5/13 भाग अर्थात 10 बिस्वा आराजी रैस्पोन्डेन्ट्स के पूर्व पुरुष राजेश शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा तारीखी 4.6.2014 को विक्रय कर दिया उक्त आराजी में से शेष रही आराजी 8/13 भाग अर्थात 16 बिस्वा अपीलान्ट के पास

संजू

मोहित [illegible]

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

ख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

शेष रही। लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच ओडी के द्वारा सम्पूर्ण आराजी का नामांतकरण रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोल दिया। उक्त नामांतकरण संख्या 66 तारीख 7.7.2014 द्वारा ग्राम पंचायत ओडी पं० स० धौलपुर गलत खोल दिया गया है अतः नामांतकरण आदेश को निरस्त कर पुनः नामांतकरण खोलने हेतु तहसीलदार धौलपुर को आदेशित करने का निवेदन किया है।

रैस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के वकील ने कथन किया, अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन सही है, और अपील स्वीकार किये जाने हेतु वह अपीलान्ट के साथ मिलकर राजीनामा पेश कर रहे। अतः अपील स्वीकार की जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस का मनन किया पत्रावली व राजीनामा पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल बयनामा दिनांक 4.6.2014 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी के से 18 विस्वा आराजी का विक्रय किया था। नकल नामांतकरण संख्या 66 दिनांक 7.7.2014 से अपीलान्ट्स का सम्पूर्ण हिस्सा रैस्पोडेन्ट्स के पूर्व पुरुष राजेश शर्मा के नाम

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

विवादित आराजी पर दाखिला खोल दिया गया है। उपरोक्त ~~विवेचन~~ विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अपने कथनों को सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः याचिका उत्तरपक्ष स्वीकार किया जाता है एवं नामांतकरण आदेश 661 दिनांक 07.07.2014 सरपंच ग्राम पंचायत और पंचायत समिति धौलपुर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उत्तरपक्ष को सुन व साक्ष्य के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)